जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

ADR सेन्टर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बारां (राज0)
(Phone - 07453-294186 Chairman/ Secretary)

क्रमांक : 7228 दिनांक: 22/12/25

—::विज्ञप्ति::—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 15539–582 दिनांक 29.11.2025 के निर्देशानुसार Directives for Efficient and Management Utilization of Para Legal Volunteers for DLSAs and TLSCs in Rajasthan 2025 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु जारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) & NSLSA (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and other Institutions) Scheme, 2013 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु कुल 42 अधिकार मित्र(पैरालीगल वॉलेण्टियर) के पदों पर मनोनयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अधिकार मित्र की अस्थाई नियुक्ति अधिकतम 01 वर्ष के लिये की जायेगी।

क्र0सं0	स्थान	कुल पद
01	जिला मुख्यालय (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां)	12
02	तालुका विधिक सेवा समिति, छबड़ा	05
03	तालुका विधिक सेवा समिति, अटरू	05
04	तालुका विधिक सेवा समिति, शाहबाद	04
05	तालुका विधिक सेवा समिति, छीपाबड़ोद	04
06	तालुका विधिक सेवा समिति, मांगरोल	04
07	तालुका विधिक सेवा समिति, अन्ता	04
08	तालुका विधिक सेवा समिति, किशनगंज	04
	कुल	42

(1) शैक्षणिक योग्यता :– आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान में अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) आवेदन पत्र :– इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

(3) साक्षात्कार :– आवेदकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर योग्य आवेदकों का साक्षात्कार लिया जावेगा, साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) का प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् सफल रहे अभ्यर्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जावेगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।

(4) चरित्र :– आवेदक द्वारा ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।

(5) शारीरिक योग्यता :– आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

(6) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किया जावे :–

1– जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2– शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3– दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4– आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिये।
5– जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

(7) आवेदन की अंतिम तिथि :–**आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 05.01.2026 को सांय 5.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।** तालुका स्तर के आवेदनकर्ता तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर भी आवेदन जमा करवा सकते है। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) पात्रता :– अधिकार मित्र(पी.एल.वी.) मनोनयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो उन्हें शॉर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। अधिकार मित्र(पी.एल.वी.) चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। निम्नांकित व्यक्ति भी अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) चयन हेतु आवेदन कर सकते है।

(9) मानदेय :– चयनित अधिकार मित्र को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय (जो वर्तमान में 750/– रूपये प्रति कार्यदिवस है) देय होगा।

सेवानिवृत अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डबल्यू., छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजिशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लायर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लब, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वंय सहायता समूह, ऐसे व्यक्ति जिसने पूर्व में कार्य किया हो, उसे प्राथमिकता दी जावेगी, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।

चयनित अधिकार मित्र(पी.एल.वी.) के कर्त्तव्य (डयूटी):

1– समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

2– आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।

3– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना।

4– पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।

5– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

6– बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना,

7– विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।

8– अधिकार मित्र(पी.एल.वी.) द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।

9– अधिकार मित्र(पी.एल.वी.) द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण माल अथवा यात्रियों को हवाई जहाज, सड़क अथवा पानी मार्ग द्वारा लाने व ले जाने से संबंधित परिवहन सेवा, डाक तार अथवा टेलीफोन संबंधी सेवा, किसी संस्था द्वारा विद्युत वितरण, बिजली अथवा पानी का जनसाधारण में वितरण, जन स्वच्छता से संबंधित व्यवस्था, चिकित्सालय अथवा डिस्पेंसरी से संबंधित सेवा, बीमा सेवा, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवा, आवासीय सेवा लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस सेवाएं, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भू–संपदा सेवा आदि संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते है।

10– अधिकार मित्र(पी.एल.वी.) द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल के माध्यम से प्रचार व प्रसार करना।

(9) स्पष्टीकरण :– यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) के कार्य हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान का निवासी है, यथासम्भव उक्त पदों हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति में अलग–अलग गांवों/वार्डों के निवासियों का मनोनयन किया जावेगा, जिनमें महिलाओं व कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जावेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) का चयन पूर्णतया अस्थायी होगा। चयनित अधिकार मित्र

(पी.एल.वी.) को नालसा/रालसा के निर्देशों के अधीन समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट :– आवेदनकर्ता सलंग्न प्रारूप में आवेदन करें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां(राज0)

दिनांक : 22/12/25

क्रमांक : 7244

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
3. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति छबड़ा/अटरू/शाहबाद/छीपाबड़ोद/मांगरोल/अन्ता/किशनगंज
4. जिला नियोजन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बारां
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बारां को प्रचारार्थ।
6. सूचना पट्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायालय, बारां
7. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बारां
8. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को न्यायालय की साइट पर अपलोड करने हेतु।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां(राज0)

अधिकार मित्र (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	नाम आवेदक	:		अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ड साइज का फोटो
2	पिता/पति का नाम	:		
3.	आवेदक के पति/पत्नि का नाम (यदि अविवाहित हो तो) (यदि आवेदक अविवाहित हो तो स्पष्टतः "अविवाहित" लिखे)	:		
4.	जाति	:		
5.	संवर्ग–सामान्य/अजा/अजजा/ अपिवर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)	:		
6.	स्थायी पता मय दूरभाष/ मोबाईल नम्बर	:		
7.	वर्तमान पता	:		
8.	निकटतम पुलिस स्टेशन	:		
9.	जन्म तिथि (अंकों में)	:		
	(शब्दों में)	:		
10.	शैक्षणिक योग्यता	:		
11.	यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए	:		
12.	आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण	:		
13.	राष्ट्रीयता	:		
14.	आवेदक अधिकार मित्र(पी.एल.वी.) के रूप में स्वेच्छा से कार्य करने हेतु तैयार है	:	1. बारां मुख्यालय 2. तालुका 3. गांव	
15.	आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, NGO किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण	:		

नोटः–आई.डी. प्रुफ व शैक्षणिक योग्यता हेतु स्व प्रमाणित प्रति सलंग्न करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :